प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
अम्बेडकरनगर, रामपुर, रायबरेली, बरेली, सीतापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, लखनऊ, इटावा, महोबा, पीलीभीत, गाजियाबाद, हाथरस, फर्रूखाबाद, हरदोई, एटा, मथुरा, वाराणसी, श्रावस्ती, मुजफ्फरनगर।

पत्रांकः 399 ए0मा0से0/एस0जी0एस0वाई0/2011 लखनऊ दिनांकः 12 सितम्बर,2011

विषयः दिनांक 23-09-2011 से 03-10-2011 तक पीपुल्स प्लाजा, नेकलेस रोड हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में आयोजित क्षेत्रीय सरस मेले में सहभागिता के संबंध में।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 23-09-2011 से 03-10-2011 तक क्षेत्रीय सरस मेले का आयोजन पीपुल्स प्लाजा, नेकलेस रोड हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में किया जा रहा है। मेले की सम्पूर्ण व्यवस्था ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के कम में ग्रामीण विकास विभाग आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। इस मेले में आपके जनपद की सहभागिता कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अंतः मेले में सहभागिता किये जाने के संबंध में कृपया निम्न निर्देशों के अनुसार तैयारी कर लें:-

1- भारत सरकार के निर्देशानुसार मेले में अनिवार्य रूप से एस0जी0एस0वाई0 ड्वाकरा आई0आर0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत लाभान्वित समूह/स्वरोजगारी की सहभागिता करायी जानी हैं अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि मेले में एस0जी0एस0वाई0 ड्वाकरा आई0आर0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत लाभान्वित समूह/स्वरोजगारी अपने उत्पादों के साथ सहभागिता करेंगे।

2- मेले में उन समूहों को अवसर दिया जाए जिन्हें पूर्व में सहभागिता का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है तथा प्रत्येक प्रतिभागी अपने बी0पी0एल0 नं0 तथा बैंक खाता आदि का विवरण की छाया प्रति अपने साथ रखे।

3- विगत मेलों में देखा गया है कि जनपदों द्वारा कई समूहों/संस्थाओं को मेले में भेजा जा रहा है इस संबंध में स्पष्ट करना है कि जिले से अनिवार्य रूप से अधिकतम दो व्यक्ति (महिला/पुरूष) को ही भेजा जाये। यदि आवश्यकता हो तो डी0आर0डी0ए0 अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक व्यवस्था हेतु मेले में भेजा जा सकता है।

4- उत्पादों की पैकेजिंग सुन्दर एवं आकर्षक करायी जाये तथा सभी उत्पादों पर सरस का लोगो चस्पा किया जाये।

5— मेले में होने वाला व्यय जैसेः ट्रान्सपोर्टेशन, लोगो व पैकिंग पर व्यय, अन्य व्यय आदि पर होने वाला व्यय एस0जी0एस0वाई0 अवस्थापना मद से वहन किये जायेंगे। ठहरने की व्यवस्था आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा की जायेगी।

6— प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु दिनॉक 22/09/2011 के सायं तक समस्त सामान सहित प्रतिभागियों को उपरोक्त मेला स्थल पर पहुँचना होगा। अधिक जानकारी हेतु के0आर0के0, चैरी आन्ध्र प्रदेश से फोन नं0 040—23296279/89 तथा मो0 नं0 09849906065 से सम्पर्क किया जा सकता है।

7— मेले में भाग लेने के बाद मेले में हुई बिकी तथा आर्डर (यदि प्राप्त हों) का विवरण मुख्यालय को प्रेषित किया जाय।

8— मेले में उन्ही समूहो की सहभागिता करायी जाये जिन्होने पूर्व में सहभागिता न की हों।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार समस्त तैयारी सुनिश्चित कराते हुए मेले में अनिवार्य रूप से सहभागिता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत करायें।

भवदीय,

7/9/11

(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक/ /ए0मा0से0/एस0जी0एस0वाई0/2011 लखनऊ तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।

2— मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्राम्य विकास, आन्ध्र प्रदेश शासन।

3— उप सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली।

(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

दिनांक: 23–09–2011 से 03–10–2011 तक पीपुल्स प्लाजा, नेकलेस रोड हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में आयोजित सरस मेले में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के संबंध में वाँछित सूचना का प्रारूप

प्रतिभागी का
प्रमाणित फोटो

1–	भाग लेने वाले स्वरोजगारी का नाम	
2–	पता	
3	हेल्पर का नाम व पता	
4	स्वयं सहायता समूह का नाम	
5	1) स्वयं सहायता समूह/स्वरोजगारी के गठन का दिनांक	
6	1) बी0पी0एल0 परिवार संख्या	
7	2) एस0सी0/एस0टी0/एस0ई0बी0सी0	
8	बैंक से प्राप्त ऋण की धनराशि	
9	ऋण की वापसी की धनराशि	
10	मेले में लाये गये उत्पादों का विवरण जो उनके अथवा समूहों द्वारा उत्पादित किये गये हों।	
11	उत्पादों की कुल कीमत	
12	मेले में अपने उत्पादों का सजीव प्रर्दशन करेंगे(हाँ/नही)	
13	मेलों में सहभागिता	
14	टिप्पणी	

प्रतिभागी के हस्ताक्षर

परियोजना निदेशक के हस्ताक्षर(मोहर सहित)